# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

**पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या: **24/2023(21/2020)** दायर दिनाँक **16.08.2023(07.08.2020)**

| प्रार्थीगण | | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. केशरराम पुत्र चेतनराम<br>1.1 हनुमान पुत्र केसरराम<br>1.2 महावीर पुत्र केसरराम<br>1.3 मुन्नी पुत्री केसरराम<br>1.4 संतोष पुत्री केसरराम<br>1.5 भंवरी देवी पत्नी केसरराम<br>2. गंगा बेवा चेतनराम जाति जाट निवासी बाजिया की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। | **बनाम** | 1. मीरा पत्नी सीताराम<br>2. शारदा पत्नी सीताराम<br>3. खेताराम पुत्र शेराराम<br>  1. हरिराम पुत्र खेताराम<br>  2. हरदेवराम पुत्र खेताराम<br>  3. सुमन पुत्री खेताराम<br>  4. गीतादेवी पत्नी खेताराम जाति जाट निवासी बाजियों की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।<br>4. तहसीलदार डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन |

**प्रार्थना–पत्र**
**अन्तर्गत धारा–251 ए**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित:–**

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील प्रार्थी।

## –:: निर्णय ::–

दिनाँक **09.01.2026**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि प्रार्थी का खसरा सं. 650 रकबा 43 बीघा 19 बिस्वा मौजा सरहद बाजियां की ढाणी तहसील डीडवाना में अवस्थित है जो कि प्रार्थी के खातेदारी सुदा खेत है प्रार्थी के उक्त खेत खसरा 650 में वर्तमान में खेत तक पहुंचने के लिए कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जिस हेतु नये कटाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर 21/2020 से दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसके उपरान्त दिनांक 25.07.2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष अपील संख्या 204/2022/225/नागौर दायर की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.0[illegible] को निर्णय पारित किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरान्त दिनांक 16.[illegible]2023 को उक्त वर्णित नये नम्बर से प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:01:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार छोटी खाटू से जरिये पत्रांक –भू0अ0/2025/1792 दिनांक 06.11.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ते की आवश्यकता है एवं आवेदक के खेत में जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश क्रमांक/रीडर/2021/294 दिनांक 12.03.2021 की पालना में तैयार मौका फर्द अनुसार रास्ता वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो आवेदक के नजदीकी रास्ता है जिसका खसरा नम्बर 199/114 रकबा 0.1272 किस्म गै.मु.रास्ता है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट से प्रार्थी सहमत है।

बहस पर मनन किया एवं, तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पूर्व में तैयार मौका फर्द अनुसार रास्ता वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो आवेदक के नजदीकी रास्ता है जिसका खसरा नम्बर 199/114 रकबा 0.1272 किस्म गै.मु.रास्ता है। तहसीलदार छोटीखाटू की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है। तहसीलदार रिपॉर्ट मुताबिक अप्रार्थीगण के खेत के मार्क A से B प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार छोटीखाटू की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

**–:: आदेश ::–**

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा सरहद बाजियों की ढाणी के खसरा संख्या 650 (नये खसरा संख्या 118) में आवागमन हेतु तहसीलदार छोटीखाटू की मौका रिपोर्ट भू.अ./2025/1792 दिनांक 06.11.2025 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 114 वाके सरहद बाजियों की ढाणी में दर्शित मार्क A से B को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार छोटीखाटू राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार छोटीखाटू की मौका रिपोर्ट पत्रांक –भू0अ0/2025/1792 दिनांक 06.11.2025 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **09.01.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:01:37 IST
Reason: SelfAttested